न्यायालय उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, बी0के0टी0, लखनऊ।

ए0के0जी0ट्रस्ट भवानीपुर बनाम उ0प्र0सरकार
वाद संख्या– 260/12–13
धारा–143, ज0वि0एवं भू0व्य0अधि0
ग्राम–भवानीपुर
परगना महोना

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी ए0के0जी0ट्रस्ट भवानीपुर द्वारा अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 पुत्र स्व0 एस0पी0गुप्ता, निवासी 169, फैज़ाबाद रोड, लखनऊ के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमें कहा गया है कि भूमि गाटा संख्या 49 रकबा 0.082हे0 व गाटा संख्या 50 रकबा 0.429हे0 में से रकबा 0.176हे0 इस प्रकार कुल रकबा 0.258हे0 स्थित ग्राम भवानीपुर, परगना महोना, तहसील बख्शी का तालाब, लखनऊ का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है तथा प्रार्थी काबिज व दखील है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य या बागवानी नहीं की जा रही है। उपरोक्त भूमि पर वर्तमान समय में न तो कृषि कार्य किया जा रहा है और न ही इस पर बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का व्यवसाय किया जा रहा है, जिस कारण से प्रार्थी को लगान आदि अदा करने में परेशानी होती है। प्रश्नगत भूमि पर आवासीय गतिविधियॉ विद्यमान हैं तथा निर्माण कार्य चल रहा है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न आवासीय प्रख्यापित करने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गयी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोटिस भेजी गयी। नोटिस बाद तामील संलग्न पत्रावली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही किसी प्रकार की आपत्ति ही दाखिल की गयी है। प्रार्थी द्वारा वाद भूमि के सम्बन्ध में इस आशय के फोटोग्राफ्स दाखिल किए गए हैं, जिससे यह सिद्ध है कि वाद भूमि पर आवासीय गतिविधियॉ विद्यमान हैं। तहसीलदार की आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि गाटा संख्या 49 रकबा 0.082हे0 व गाटा संख्या 50 रकबा 0.429हे0 मे से रकबा 0.176हे0 कुल रकबा 0.258हे0 स्थित ग्राम भवानीपुर, परगना महोना, तहसील बख्शी का तालाब, लखनऊ पर ए0के0जी0ट्रस्ट भवानीपुर द्वारा अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 पुत्र स्व0 एस0पी0गुप्ता, निवासी 169, फैजाबाद रोड, लखनऊ का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित अभिलेख है। उपरोक्त भूमि पर नाली तथा सीवर लगाकर नर्सिंग होम विकसित किया जा रहा है। भूमि से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है तथा भूमि सहखातेदारी नहीं है। भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। उपरोक्त भूमि के मध्य ग्राम समाज, नाली, चकरोड का क्षेत्रफल शामिल नहीं है। प्रश्नगत भूमि पट्टे की नहीं है। भूमि के सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त भूमि की पैमाइश हेतु धारा 143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 135(6) के अन्तर्गत रू0 1500/– राजकीय कोष में जमा कराये जाने के साथ प्रश्नगत भूमि को गैर कृषिक उदघोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार बख्शी का तालाब की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम भवानीपुर, परगना महोना, तहसील बख्शी का तालाब जिला लखनऊ स्थित भूमि गाटा संख्या 49 रकबा 0.082हे0 व गाटा संख्या 50 रकबा 0.429हे0 मे से रकबा

Anujh
Chairman
A.K.G. Institute of Pharmacy
B.K.T. Lucknow

Scanned with CamScanner

0.176हे0 कुल रकबा 0.258हे0 पर ए0के0जी0ट्रस्ट भवानीपुर द्वारा अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 पुत्र स्व0 एस0पी0गुप्ता, निवासी 169, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि से भिन्न प्रयोजन में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि गाटा संख्या 49 रकबा 0.082हे0 व गाटा संख्या 50 रकबा 0.429हे0 में से रकबा 0.176हे0 कुल रकबा 0.258हे0 को धारा 143 जमींदारी विनाश एवं भू0 व्य0 अधि0 के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना उचित एवं विधिसंगत प्रतीत होता है, परन्तु भू–उपयोगिता की विधिमान्यता के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 के उपबन्ध प्रभावी होंगे, जिसका सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं शहरी नियोजन विभाग से है।

आदेश

ग्राम भवानीपुर, परगना महोना, तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ की भूमि गाटा संख्या 49 रकबा 0.082हे0 व गाटा संख्या 50 रकबा 0.429हे0 में से रकबा 0.176हे0 कुल रकबा 0.258हे0 को मालगुजारी 26.15रू0 से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किये जाने के कारण धारा 143 ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधिनियम के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 144 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार बख्शी का तालाब को खतौनी में तदनुसार प्रविष्टि हेतु प्रेषित हो तथा एक प्रति सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार को जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित की इसे निबन्धित कर इस आशय का अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक व मिसिलबन्द रजिस्टर संख्या अपने हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13.5.13

(एस0के0भट्ट)
उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर–प्रथम श्रेणी,
लखनऊ।

निर्णय आज दिनांक 13-5-13 को खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(एस0के0भट्ट)
उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर–प्रथम श्रेणी,
लखनऊ।

14/5/13

Chairman
A.K.G. Institute of Pharmacy
B.K.T. Lucknow

Scanned with CamScanner